

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई अनुभाग-2
संख्या- /II-2016/17 (19)/2015
देहरादून : दिनांक 21 जुलाई, 2015

अधिसूचना

राज्यपाल उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन एवं नियामक अधिनियम, 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 24 वर्ष, 2013) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सरकारी अधिसूचना संख्या-1737/II-2016/17(19)/2015 दिनांक 08, जुलाई, 2016 में स्थापित उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबन्धन और नियामक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन करते हैं। चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन- पदेन अध्यक्ष,
2. अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग या उसका नाम-निर्देशिती, जो केन्द्रीय जल आयोग का सदस्य होगा- पदेन सदस्य,
3. प्रमुख सचिव/सचिव वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन- पदेन सदस्य,
4. निदेशक, भारतीय प्रबन्ध संस्थान काशीपुर- पदेन सदस्य,
5. सचिव/प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन- पदेन सदस्य सचिव,

(आमन्द बर्द्धन)
सचिव

पू0संख्या- 1844 /II-2016/17(19)/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री को मा0 सिंचाई मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, रामकृष्ण पुरम नई दिल्ली 110066
5. मण्डलायुक्त गढवाल/कुमाँऊ, पौड़ी/नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, भारतीय प्रबन्ध संस्थान काशीपुर।
9. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निदेशक एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।
11. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुडकी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण खण्ड के भाग-4 में प्रकाशित करते हुये 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
संयुक्त सचिव।